



एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिये उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट

प्रलिस के लिये:

[एक राष्ट्र, एक चुनाव, नगर पालिकाएँ और पंचायतें, भारत का चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, अनुच्छेद 356](#)

मेन्स के लिये:

एक साथ चुनाव, महत्त्व और चुनौतियाँ

स्रोत: [पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

चुनाव सुधार की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोव्दि की अध्यक्षता में गठित [एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति](#) ने भारत में [लोकसभा](#), राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिये एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है।

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई समिति की रिपोर्ट इस महत्त्वपूर्ण बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिये संविधान में व्यापक सफारिशों और संशोधनों की रूपरेखा तैयार करती है।

एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सफारिशें क्या हैं?

- एक साथ चुनाव के लिये संक्रमण:**
 - अनुच्छेद 82A में संशोधन:**
 - समिति राष्ट्रपति को लोकसभा और विधान सभाओं के एक साथ चुनाव शुरू करने के लिये "नयित तारीख" निर्दिष्ट करने का अधिकार देने के लिये **संविधान के अनुच्छेद 82A** में संशोधन करने का सुझाव देती है।
 - इस तारीख के बाद जनि राज्य विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, वे एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिये अपनी शर्तों को संसद के साथ समन्वयति कर लेंगी।
 - अवधि समन्वयन (Term Synchronization):**
 - यदि **वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों** के बाद सफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है और लागू किया जाता है, तो संभवतः पहला एक साथ चुनाव वर्ष 2029 में हो सकता है।
 - वैकल्पिक रूप से यदि वर्ष 2034 के चुनावों को लक्ष्यति किया जाता है, तो वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद नयित तारीख की पहचान की जाएगी।
 - जनि राज्यों में **जून 2024 और मई 2029** के बीच चुनाव होने हैं, उनका कार्यकाल **18वीं लोकसभा** के साथ समाप्त हो जाएगा, भले ही इसके **परिणामस्वरूप कुछ राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार के उपाय के रूप में पाँच साल से कम हो**।
 - पश्चिमि बंगाल, तमलिनाडु (2026), पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (2027) और कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना (2028) जैसे राज्य अपने चुनावी चक्र को समन्वयति (synchronise) करेंगे।
 - वर्ष 2024 के चुनावों के बाद चुनी गई सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2029 या 2034 को लक्ष्य करते हुए एक साथ चुनाव लागू करने के लिये शुरुआती बटु तय करेगी।
 - संसद या राज्य विधानसभा के समय से **पहले भंग होने की स्थिति में समन्वय बनाए रखने के लिये, समिति ने एक साथ चुनावों के अगले चक्र तक केवल शेष कार्यकाल या "असमाप्त अवधि (unexpired term)"** के लिये नए चुनाव कराने की सफारिश की।
 - यह उपाय सुनिश्चित करता है कि कोई भी त्रिशंकु सदन या [अवशिवास प्रस्ताव](#) एक साथ चुनावों की समग्र समय-सीमा को प्रभावति नहीं करता है।
 - स्थानीय निकाय चुनावों का समन्वयन:**
 - संसद को आम चुनावों के साथ [नगर पालिकाओं और पंचायतों](#) के चुनावों का समन्वय सुनिश्चित करने के लिये संभवतः **अनुच्छेद 324A** की शुरुआत के माध्यम से कानून बनाने की सलाह दी जाती है।

- यह कानून स्थानीय निकायों की शर्तों को निर्धारित करेगा और उनके चुनाव कार्यक्रम को राष्ट्रीय चुनावी समय-सीमा के साथ संरेखित करेगा।
- **मतदाता सूची तैयार करना एवं प्रबंधन:**
 - **समिति संवधान के अनुच्छेद 325** में संशोधन करने का सुझाव देती है ताकि भारत के **चुनाव आयोग** को **राज्य चुनाव आयोगों (SECs)** के परामर्श से सरकार के सभी स्तरों पर लागू एकल **मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान-पत्र** तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके।
 - लोकसभा के लिये मतदाता सूची ECI द्वारा तैयार और रखरखाव की जाती है, जबकि स्थानीय निकायों के लिये मतदाता सूची SEC द्वारा तैयार की जाती है।
 - समिति पुनर्रमतदान को रोकने और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा के लिये ECI तथा **राज्य चुनाव आयोगों** के बीच सामंजस्य के महत्त्व पर जोर देती है।
- **लॉजिस्टिक व्यवस्थाएँ और व्यय अनुमान:**
 - समिति ECI से एक साथ चुनावों के लिये **वसित्तृत आवश्यकताएँ और व्यय अनुमान प्रस्तुत** करने को कहती है।
 - नरिबाध लॉजिस्टिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये समिति ECI और SECs से व्यापक योजनाएँ तथा अनुमान वकिसति करने का आग्रह करती है।
 - इन योजनाओं में उपकरण की आवश्यकताएँ, कर्मियों की तैनाती और सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिये।
- **शासन और वकिस पर प्रभाव:**
 - समिति प्रभावी नरिण्य लेने और सतत् वकिस के लिये शासन में नश्चितता के महत्त्व को रेखांकित करती है।
 - यह नीतगित पंगुता को रोकने और प्रगत के लिये अनुकूल वातावरण को बढावा देने में समकालिक चुनावों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

एक साथ चुनाव के संबंध में वविाद क्या हैं?

- **पक्ष में तरक:**
 - **लागत कषमता:**
 - एक साथ चुनाव कराने से राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा कयि जाने वाले **पर्याप्त आवरती व्यय में कमी आती है।**
 - चुनावों को **एक कार्यक्रम में समेकित करने से मतदाता पंजीकरण, मतदान केंद्र, चुनाव कर्मचारी, सुरक्षा तैनाती** और अन्य लॉजिस्टिक संबंधी आवश्यकताओं से जुड़ी लागत कम हो जाती है।
 - सभी चुनावों के लिये एक ही मतदाता सूची के साथ, सुरक्षा बलों और नागरिक अधिकारियों जैसे प्रशासनिक संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कयिा जाता है, जसिसे सार्वजनिक धन की बचत होती है जसिसे अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिये पुनर्रनिदेशित कयिा जा सकता है।
 - **उन्नत शासन एवं प्रशासन:**
 - एक साथ चुनाव होने से चुनावी प्रक्रया सुव्यवस्थित हो जाती है, जसिसे बार-बार होने वाले चुनावों के कारण **शासन और प्रशासन पर पडने वाला दबाव कम** हो जाता है।
 - अलग-अलग चुनावों के दौरान सुरक्षा और पुलिस बलों की लंबे समय तक तैनाती **राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून प्रवर्तन प्रयासों पर दबाव डाल सकती है**, जसिसे एक साथ चुनाव कराकर कम कयिा जा सकता है।
 - **अधिकारियों के बडे पैमाने पर तबादले और अलग-अलग चुनावों के दौरान आचार संहिता** के कारण होने वाला व्यवधान सरकारी मशीनरी के सुचारु कामकाज में बाधा डाल सकता है, जसिसे समकालिक चुनावों के माध्यम से कम कयिा जा सकता है।
 - **राजनीति में धन का प्रभाव कम होना:**
 - एक साथ चुनाव कराने से **चुनाव अभियानों** की आवृत्ति और संबंधित खर्चों को कम करके राजनीति में धन की भूमिका को कम कयिा जा सकता है।
 - अभियान वतित नयियों को ECI द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से लागू कयिा जा सकता है, जसिसे सभी दलों और उम्मीदवारों के लिये समान अवसर सुनिश्चित होंगे।
 - **वभाजनकारी राजनीति का शमन:**
 - **'एक राष्ट्र-एक चुनाव'** की अवधारणा का उद्देश्य मतदाताओं को एकजुट करने में कषेत्रवाद, जातविाद और सांप्रदायिकता के वभाजनकारी प्रभाव को कम करना है।
 - राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके और एकीकृत चुनावी एजेंडे को बढावा देकर, एक साथ चुनाव संकीर्ण हतियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढावा देने में मदद कर सकते हैं।
 - **मतदाता सहभागिता में वृद्धि:**
 - वभिन्न स्तरों पर बार-बार होने वाले चुनावों से उत्पन्न होने वाली **वोटर फेटीग** को एक ही कार्यक्रम में एकत्रित करके कम कयिा जा सकता है।
 - एक साथ **चुनाव मतदाताओं की उदासीनता को कम करके और प्रत्येक चुनावी अभ्यास** के महत्त्व को बढाकर संभावित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मतदान प्रतशित बढा सकते हैं।
- **एक साथ चुनाव के खलिाफ तरक:**
 - **संघवाद और कषेत्रीय प्रतनिधित्व:**
 - एक साथ चुनाव, चुनावी प्रक्रया को केंद्रीकृत करके और संभावित रूप से राष्ट्रीय मुद्दों के साथ कषेत्रीय तथा स्थानीय मुद्दों को प्रभावित करके **संघवाद** के सिद्धांतों को कमजोर कर सकते हैं।
 - घटक राज्य, **वशिष रूप से वे जो राष्ट्रीय स्तर पर गैर-प्रमुख दलों द्वारा शासित हैं**, समकालिक चुनाव परदृश्य में हाशिए पर या अपर्याप्त प्रतनिधित्व महसूस कर सकते हैं।
 - संवधान में नहिित संघीय भावना को कमजोर करते हुए, राष्ट्रीय पार्टियाँ कषेत्रीय पार्टियों पर अनुचित लाभ प्राप्त कर

सकती हैं।

- **लागत नहितारथ:**
 - एक साथ चुनावों के कार्यान्वयन के लिये अतिरिक्त **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन** और **मतदाता सत्यापति पेपर ऑडिट ट्रेल** की खरीद में महत्वपूर्ण नविश की आवश्यकता होगी, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।
 - वधान परिषदों/राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों और उप-चुनावों के लिये अभी भी अलग-अलग मतदान आयोजनों की आवश्यकता होगी, जो समकालिक चुनावों के बावजूद चल रही लागत में योगदान देगा।
- **जवाबदेही और प्रतिनिधित्व पर प्रभाव:**
 - सरकार के विभिन्न स्तरों पर बार-बार चुनाव होने से **निरिवाचिता प्रतिनिधियों के बीच जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलती है और मतदाताओं** को अपनी प्राथमिकताएँ व्यक्त करने के नियमित अवसर सुनिश्चित होते हैं।
 - चुनावों को समकालिक करने से **चुनावी जवाबदेही जाँच की आवृत्त कम हो सकती है** और निरिवाचिता अधिकारियों की अपने मतदाताओं की बढ़ती आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही सीमिति हो सकती है।
- **आवश्यक संवैधानिक संशोधन:**
 - भारत का संसदीय लोकतंत्र लोकसभा और राज्य वधानसभाओं को उनके पाँच वर्ष के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने की अनुमति देता है।
 - सभी सदनों के लिये पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल अवधि और वधितन से संबंधित **अनुच्छेद 83, 85, 172 तथा 174 में संवैधानिक संशोधन** की आवश्यकता है।
 - एक साथ चुनावों को समायोजित करने के लिये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने को न्यतिरति करने वाले अनुच्छेद 356 में संशोधन की भी आवश्यकता होगी।
- **सुरक्षा नहितारथ:**
 - एक साथ चुनावों के दौरान, **चुनाव ड्यूटी के लिये बड़े सुरक्षा बलों को तैनात** करना संभावित रूप से **राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर कर** सकता है, क्योंकि यह उन्हें सीमा सुरक्षा से वधिलति कर देता है।

एक साथ चुनाव के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

संवैधानिक प्रावधान	वधिरण
अनुच्छेद 83	लोकसभा (लोगों का सदन) की अवधि निरिदषिट करती है, जिसमें कहा गया है, कि यह अपनी पहली बैठक से पाँच वर्ष तक जारी रहेगी जब तक कि पहले भंग न हो जाए।
अनुच्छेद 172	राज्य वधान सभाओं की अवधि से संबंधित, यह घोषणा करते हुए कि एक वधान सभा अपनी पहली बैठक की तारीख से पाँच वर्ष तक जारी रहेगी।
अनुच्छेद 324	निरिवाचन आयोग को मतदाता सूची की तैयारी और संसद , राज्य वधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों की निगरानी, निरिदेशन एवं न्यतिरण करने के लिये सशक्त बनाना।
अनुच्छेद 356	संवैधानिक शासन की वधिलता के मामले में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है, जिससे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष शासन किया जाता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	भारत में चुनाव कराने के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जिसमें मतदाता सूची, सदस्यता के लिये योग्यता और चुनाव आचरण जैसे पहलू शामिल हैं।

भारत में एक साथ चुनाव का इतिहास

- भारत में एक साथ चुनाव, जहाँ लोकसभा तथा राज्य वधानसभाएँ दोनों एक साथ निरिवाचिता होते थे, आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में **1952, 1957 एवं 1962** में प्रचलित थे।
 - हालाँकि, राजनीतिक अस्थिरता, राज्य वधानसभाओं के शीघ्र वधितन और कषेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिये अलग-अलग चुनावों की आवश्यकता जैसे विभिन्न कारणों के कारण, एक साथ चुनावों की प्रथा धीरे-धीरे खत्म हो गई।
- वर्ष 2019 में, **केवल चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सक्किम)** में लोकसभा के साथ वधानसभा चुनाव हुए।

एक साथ/समकालिक चुनाव वाले देश

- **दक्षिण अफ्रीका:**
 - नेशनल असेंबली और प्रांतीय वधानसभाओं के चुनाव हर 5 वर्ष में एक साथ होते हैं।
 - दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का चुनाव नेशनल असेंबली द्वारा किया जाता है।
- **स्वीडन:**
 - स्वीडन के प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्येक चार वर्ष में वधियायिका द्वारा किया जाता है।
- **जर्मनी:**
 - जर्मनी के चांसलर का चुनाव प्रत्येक चार वर्ष में वधियायिका द्वारा किया जाता है।
 - चांसलर में वधिवास की कमी को केवल उत्तराधिकारी चुनकर ही दूर किया जा सकता है।

■ **ब्रिटन:**

- ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता तथा पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये नश्वरि अवधिसंसद अधनियिम, 2011 पारति कथि गयल थल । इसमें प्रलवधलन थल कल पहलल चुनलव 7 मई, 2015 को और उसके बलद प्रतयेक 5वें वरुष मई के पहले गुरवलर को हेलगल ।

एक सलथ/समकललकल चुनलव के संबंघ में वभनलन अनूय सफलरशलें कूयल हैं?

■ **पछलली रपलरुत:**

- एक सलथ/समकललकल चुनलव के मुददे को वधलआयुग (1999) और कलरुमकल, लुक शकललयत, कलनून एवं नूयलय प्र संसदीय स्थलथी समतलल (2015) की रपलरुतों में हल कथल गयल है । इसके अतरकलत, वधलआयुग ने वरुष 2018 में एक प्रलरूप रपलरुत प्रसतुत की ।

■ **सफलरशलें कल सलरलंश:**

○ **कूलबगल चुनलव:**

- प्रसतलवों में लुकसभल चुनलवों को लगभग आधे रलजूय वधलनसभल चुनलवों के सलथ एक चकर में जुडने कल सुजुलव दथल गयल है, जबकल शेष रलजूय वधलनसभल चुनलवों को डलई वरुष बलद दूसरे चकर में करलने कल सुजुलव दथल गयल है ।
 - इसके लयल मौजूदल वधलनसभलओं के कलरूयकलल को समलयुऑतल करने हेतु संवधलन और जन प्रतनलधलतलव अधनियिम, 1951 में संशुधन की आवशूयकतल हेलगी ।

○ **अवशलवलस प्रसतलव:**

- लुकसभल यल वधलनसभल में कलसी भी अवशलवलस प्रसतलव के सलथ वैकूल्पकल सरकलर बनलने कल वशलवलस प्रसतलव भी हेलनल चलहयल ।
 - यदल लुकसभल यल रलजूय वधलनसभल कल वधलन अडरहलरूय है, तल नवगठतल सदन को वधलन को हतुतसलहतल और वैकूल्पकल सरकलर बनलने की खुऑ को प्रुतसलहतल करने के लयल मूल सदन की केवल शेष अवधल में ही कलम करनल चलहयल ।

○ **उड-चुनलव:**

- सदसूयों की मूतयु, इसूतीफे यल अयुुगयतल के कलरण हेलने वलले उडचुनलवों को दकूषतल के लयल एक सलथ समूहीकूत कथल जल सकतल है और वरुष में एक बलर आयुऑतल कथल जल सकतल है ।

UPSC सवलल सेवल परीकूषल, वगलत वरुष के प्ररुशन

??????????:

प्ररुशन. नमलनलखलतल कथनों पर वचलर कीऑयल: (2020)

1. बलरत के संवधलन के अनुसलर, कूई भी ऐसल वूयकूतल, ऑल मतदलन के लयल युुगूय है, कलसी रलजूय में छह मलह के लयल मंतूरी बनलयल जल सकतल है तब भी, जब कलवह उस रलजूय के वधलनमंडल कल सदसूय नही है ।
2. लुक प्रतनलधलतलव अधनियिम, 1951 के अनुसलर, कूई भी ऐसल वूयकूतल, ऑल दलंडकल अडरलध के अंतरूगत दुषी पलयल गयल है और जलसे पलँच वरुष के लयल कलरलवलस कल दंड दथल गयल है, चुनलव लडने के लयल स्थलथी तूौर पर नरलरूहत हेल जलतल है, भले ही वह कलरलवलस से मुकूत हेल चुकल हेल ।

उडरूयुकूत कथनों में से कूून-सल/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दुुनों
- (d) न तल 1, न ही 2

उतूतर: (d)

प्ररुशन. नमलनलखलतल कथनों पर वचलर कीऑयल: (2017)

1. बलरत कल चुनलव आयुुग पलँच सदसूयीय नकलय है ।
2. केंदूरीय गूह मंतूरललय आड चुनलव और उडचुनलव दुुनों के संचललन के लयल चुनलव कलरूयकरुड तय करतल है ।
3. चुनलव आयुुग मलनूयतल प्रलपूत रलऑनीतकल दलों के वभलऑन/वललय से संबंघतल ववलदुुओं को हल करतल है ।

उडरूयुकूत कथनों में से कूून-सल/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. "लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।" (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/high-level-committee-report-on-simultaneous-elections>

